



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 24 दिसम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज के लिए प्रताडित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी बराल थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित कर आत्महत्या के लिए उकसाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 04.03.2013 को थाना गुलावठी पर मुअसं – 49/2013 धारा 498ए/306 भादवि व 4 डीपी एक्ट पजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.04.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 24.12.2024 को न्यायाधीश श्री वरूण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुनील कुमार को 04 वर्ष का कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर